डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना, आर.ए.एस.

1. भगवानसिंह पुत्र अमरलाल आयु 36 साल
2. अमरूती पुत्री अमरलाल उम्र 34 साल
3. निरोती पुत्री अमरलाल आयु 32 साल
4. ऋषिकेश पुत्र अमरलाल आयु 26 साल
5. जयसिंह पुत्र अमरलाल आयु 22 साल
6. सुगरबाई बेवा अमरलाल उम्र 55 साल

सभी जातियान मीना निवासीयान खूबनगर तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र भंवरलाल आयु 52 साल
2. अमरसिंह पुत्र भंवरलाल आयु 48 साल
3. पप्पू पुत्र भंवरलाल आयु 42 साल
4. प्रेमबाई पुत्री भंवरलाल आयु 36 साल
5. सोमोती बेवा भंवरलाल उम्र 72 साल
6. सब रजिस्ट्रार तहसील करौली
7. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार तहसील करौली

सभी जातियान मीना तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. 30/20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्री लक्ष्मीनाथ योगी**, एडवोके मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री गोपाल लाल गुप्ता, एडवाकेट** मिनजानिब मुदायलह पश हाकर हुक्म दिया जाता अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है। वादीगण को आराजी खसरा नंबर 372, 567, 568, 582/1461, 583 589 कुल किता 11 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा ग्राम खूबनगर पटवार हल्का खूबनगर तहसील करौली के 1 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण अपने हक में 1/2 हिस्से के खातेदारी इ राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी नंबर 7 वादीगण के हक में इसी अनुसार राजस्व जमाबंदी में 1/2 हिस्से के खातेदारी इन्द्राज अमल करें प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता वादीगण के 1/2 हिस्से के भूमि के लाभ प्राप्त करने में कोई दखल नहीं करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी ह

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकद्द

मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....

..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.12.25 को सन 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक
मुतफरिक			
मीजान			मीजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:33:04
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं द करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0नं:–30 / 20 ता0रजू –02.12.2020

उनवान

1. भगवानसिंह पुत्र अमरलाल आयु 36 साल
2. अमरूती पुत्री अमरलाल उम्र 34 साल
3. निरोती पुत्री अमरलाल आयु 32 साल
4. ऋषिकेश पुत्र अमरलाल आयु 26 साल
5. जयसिंह पुत्र अमरलाल आयु 22 साल
6. सुगरबाई बेवा अमरलाल उम्र 55 साल

सभी जातियान मीना निवासीयान खूबनगर तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1.	मोहरसिंह पुत्र भंवरलाल आयु 52 साल	सभी जातियान मीना तहसील व जिला करौली
2.	अमरसिंह पुत्र भंवरलाल आयु 48 साल	
3.	पप्पू पुत्र भंवरलाल आयु 42 साल	
4.	प्रेमबाई पुत्री भंवरलाल आयु 36 साल	
5.	सोमोती बेवा भंवरलाल उम्र 72 साल	
6.	सब रजिस्ट्रार तहसील करौली	
7.	लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार तहसील करौली	

–प्रतिवादीगण

अभिभाषक:–वादी–श्री लक्ष्मीनाथ योगी, एडवाकेट
प्रतिवादी–श्री गोपाल लाल गुप्ता, एडवाकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:33:04
Reason: SelfAttested

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–::निर्णय::– दिनांक:– 20/8/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 372 रकबा 16 बिस्वा चाही ए खसरा नंबर 567 रकबा 4 बिस्वा बंजड–2, खसरा नंबर 568 रकबा 4 बिस्वा बंजड–2, खसरा नंबर 582 / 1461 रकबा 3 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

बारानी–2, खसरा नंबर 583 रकबा 14 बिस्वा बारानी–2, खसरा नंबर 584 रकबा 1[illegible] बिस्वा बारानी–1, खसरा नंबर 585 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा बारानी–1, खसरा नंबर 586 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा बंजड–2, खसरा नंबर 587 रकबा 4 बिस्वा बंजड–2 खसरा नंबर 588 रकबा 2 बिस्वा बारानी–2, खसरा नंबर 589 रकबा 5 बिस्वा बारानी–2 कुल किता 11 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम खूबनगर पटवार हल्का खूबनगर तहसील व जिला करौली में स्थित है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादीगण 1 लगायत 6 व प्रतिवादीगण 1 ता 5 के बाबा फसल काश्त करते चले आ रहे थे वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 के बाबा किशोरी की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का वारिस केवल प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता भंवरलाल को वारिस बनाया गया और उसके नाम उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई थी जबकि वादीगण का पिता अमरलाल किशोरी का सगा पुत्र है। किशोरी के दो पुत्र भवंरलाल व अमरलाल थे भंवरलाल की मृत्यु के पश्चात भंवरलाल के वारिसान प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गयी है। जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण का किशोरी सगा बाबा है वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 किशोरी की उक्त भूमि में बराबर–बराबर 1/2–1/2 हक व हिस्सा है। तत्कालीन राजस्व कर्मियों से मिलकर फर्जकारी करके प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता भंवरलाल के साज करके फर्जीवाडा करके वादीगण के पिता अमरलाल को बिना सूचना दिये किशोरी की मृत्यु के पश्चात राजस्व कर्मचारियों से साज करके प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता भंवरलाल ने राजस्व रिकॉर्ड में वारिसान के तौर पर केवल अपना नाम दर्ज करवा लिया था उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि के वारिसान केवल प्रतिवादीगण 1 ता 5 को बनाया गया है। जबकि उक्त भूमि में वादीगण का प्रतिवादीगण 1 ता 5 का 1/2–1/2 हक व हिस्सा है सबूतन संवत 2010–2013 की किशोरी के नाम की जमाबंदी पेश है। उक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व वादीगण व प्रतिवादीगण के बाबा किशोरी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी सबूतन संवत 2010–2013 की जमाबंदी पेश है वादीगण व प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 के बाबा किशोरी की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण 1 तस 5 के पिता भंवरलाल ने राजस्व कर्मियों से साज [illegible] की संपूर्ण भूमि को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] वादीगण के पिता पति व प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 के पिता [illegible] सगे भाई है वादीगण व प्रतिवादीगण का किशोरी की भूमि में 1/2–1/2 हक व हिस्सा है वादीगण अपने हिस्सा की भूमि पर आज भी कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 वादीगण से डोल मेढ व घास को लेकर आये दिन झगडा फसल करते रहते है। इसलिये वादीगण व प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 का विधिवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2025.11.07 10:33:04 IST
Reason: SelfAttested

बंटवारा करके 1/2 1/2 हिस्सा सेपरेट किया जाना आवश्यक है। वादीगण का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.7.17 को बताने पर राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर तब वादीगण ने तहसीलदार करौली एवं जिला कलेक्टर करौली को उक्त आराजी का इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन आज तक उक्त आराजी का इन्द्राज दुरूस्त नहीं किया गया है। इसलिये मजबूर होकर यह दावा पेश करना पड़ा रहा है। उक्त राजस्व कर्मियों की कार्यवाही वादीगण व वादीगण के पिता के हक हकूकों पर शून्य एवं अवैध है। उक्त आराजी का इन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 का राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा किया जाकर 1/2-1/2 के सेपरेट खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे वरना वादीगण के हक हकूकों पर भारी कुठाराघात होगा। वादीगण का पिता पति अमरलाल अनपढ़ था और उसकी जानकारी में लाये वगैर राजस्व कर्मियों ने राजस्व रिकॉर्ड में गलती की है जो वादीगण पर अवैध शून्य है। वादीगण अपनी उक्त आराजी में से ही अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करते आ रहे है। प्रतिवादीगण की उक्त अनाधिकार कार्यवाही से वादीगण के परिवार के भूखे मरने की नौबत आ रही है। प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 अपने धनबल व लठ्ठ की ताकत पर वादीगण को अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जा काश्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जावे एवं वादीगण व प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 का राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा किया जाकर 1/2–1/2 के सेपरेट खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अंत में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त आराजीयात से वादीगण को कोई संबंध नहीं है। सजरा गलत है। स्वीकार नहीं है। किशोरी के केवल एक ही संतान भंवरलाल ही थी और उक्त भंवरलाल के ही हम प्रतिवादीगण बहैसियत [illegible] चले आ रहे है। वादपत्र का 3 गलत है और स्वीकार नहीं है। उक्त [illegible]जीयात केवल प्रतिवादीगण जबाबदारान की पुश्तैनी भूमि है। [illegible] प्रतिवादीगण जबाबदार नंबर 1 लगायत 5 के पिता भंवरलाल का खास भाई नहीं था। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता भंवरलाल पुत्र किशोरी के खातेदारी व कब्जा काश्त में पचासों साल से चली आ रही है और भंवरलाल के फौत हो जाने पर उक्त आराजीयात विवादित हम जबाबदारान प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि में वादीगण का किसी प्रकार का कोई भी हक व हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:33:04
Reason: SelfAttested

नहीं है। प्रतिवादीगण के पिता भंवरलाल के नाम विरासत राजस्व रिकॉर्ड में सही दर्ज हुई थी और भंवरलाल की मृत्यु के पश्चात हम प्रतिवादीगण जबाबदारान के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में आयी है। वादीगण व उनके पिता स्व. अमरलाल का उक्त वादग्रस्त भूमि से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। ना ही अब है। यानि भंवरलाल व अमरलाल दोनों सगे भाई नहीं है। किशोरी के केवल एक पुत्र भंवरलाल ही था और किशोरी के फौत हो जाने पर उसकी विरासत राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिवादीगण के पिता भंवरलाल के नाम दर्ज हुई थी और भंवरलाल के फौत हो जाने पर ह प्रतिवादीगण जबाबदारान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज की गयी थी। उक्त भूमि पर हम प्रतिवादीगण जबाबदारान पिता भंवरलाल बहैसियत खातेदार कातकार काबिज रहे थे व वादीगण के पिता व पति व प्रतिवादीगण के पिता भंवरलाल बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रह थ वादीगण के पिता व पति व प्रतिवादीगण के पिता व पति आपस में सगे भाई नहीं थ प्रतिवादीगण के पिता के पिता किशोरी की भूमि में वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। ना ही वादीगण आज काबिज है। वादीगण का किसी प्रकार का बंटवारा कराने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ताकतरब झगडालू प्रवृति के है और पैसे व लट्ठ के बल पर प्रतिवादीगण की जमीन को ताक के बल पर छिनाना चाहते है। वादीगण हम प्रतिवादीगण की खातेदार व कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार भी इन्द्राज दुरूस्त कराने के अधिकारी नहीं है। वादीगण को हम प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में बंटवारा कराने व खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त कराने का कोई अधिकारी नहीं है। वादीगण का उक्त विवादित आराजीयात से कभी भी किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा है। ना कब्जाकाश्त किसी प्रकार किया है। वादीगण बहुत ही चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति है और चालाकी से ही य झूठा दावा करके इस दावे की आड में हम प्रतिवादीगण की भूमि को छीनाना चाहते है। अंत में दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज फरमाया जावे।

वादी व प्रवितादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाधक बिन्दु विरचित किये गयेः—

1. आया वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 372, 567, 568, 582, 1461 लगायत 589 कुल किता 16 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा तहसील करौली वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की है। वादीगण अपने 1/2 हिस्सा की खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है।

——वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:33:04
Reason: SelfAttested

2. आया वादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के संयुक्त खातेदारी की है। वादीगण अपने 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी नंबर 1 5 से बंटवारा कराने के अधिकारी है।

—— वादी

3. आया वादग्रस्त आराजीयात के वादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

——वादी

4. आया दावा वादीगण वादकारण के अभाव में चलने योग्य नहीं है।

——प्रतिवादीगण

5. आया दावा वादीगण म्याद बाहर है।

——प्रतिवादीगण

6. **अनुतोष**

वाद विवाद्यक बिन्दु वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वयं PW-1 भगवान सिंह के बयान लेखबद्ध कराये हैं एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत् 2072—75 प्रदर्श—1, जमाबंदी संवत 2010—13 प्रदर्श—2 जमाबंदी संवत 2052—55 प्रदर्श—3, वोटरलिस्ट सन् 1999 प्रदर्श—4, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—5 पेश की है। वादी ने अन्य मौखिक साक्ष्य में श्री बाई PW-2, खिलाडी PW-3, रामरूप PW-4, के बयान लेखबद्ध कराये गये। दस्तावेजी सबूत में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। साक्ष्य वादी समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने मौखिक साक्ष्य में अमरसिंह के बयान लेखबद्ध कराये है अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 372 रकबा 16 बिस्वा चाही ए खसरा नंबर 567 रकबा 4 बिस्वा बंजड—2, खसरा ... रकबा 4 बिस्वा बंजड—2, खसरा नंबर 582/1461 रकबा ... नंबर 583 रकबा 14 बिस्वा बारानी—2, खसरा नंबर 584 रकबा 10 बिस्वा बारानी ... खसरा नंबर 585 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा बारानी—1, खसरा नंबर 586 रकबा 1 ... 11 बिस्वा बंजड—2, खसरा नंबर 587 रकबा 4 बिस्वा बंजड—2, खसरा नंबर 588 रकबा 2 बिस्वा बारानी—2, खसरा नंबर 589 रकबा 5 बिस्वा बारानी—2 कुल किता 11 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम खूबनगर पटवार हल्का खूबनगर तहसील व जिला करौली में स्थित है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:33:04 I
Reason: SelfAttested

पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादीगण 1 लगायत 6 व प्रतिवादीगण 1 ता 5 के बाबा फसल काश्त करते चले आ रहे थे वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 के बाबा किशोरी की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का वारिस केवल प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता भंवरलाल को वारिस बनाया गया और उसके नाम उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई थी जबकि वादीगण का पिता अमरलाल किशोरी का सगा पुत्र है। किशोरी के दो पुत्र भवंरलाल व अमरलाल थे भंवरलाल की मृत्यु के पश्चात भंवरलाल के वारिसान प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गयी है। जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण का किशोरी सगा बाबा है वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 किशोरी की उक्त भूमि में बराबर–बराबर 1/2–1/2 हक व हिस्सा है। तत्कालीन राजस्व कर्मियों से मिलकर फर्जकारी करके प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता भंवरलाल के साज करके फर्जीवाडा करके वादीगण के पिता अमरलाल को बिना सूचना दिये किशोरी की मृत्यु के पश्चात राजस्व कर्मचारियों से साज करके प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता भंवरलाल ने राजस्व रिकॉर्ड में वारिसान के तौर पर केवल अपना नाम दर्ज करवा लिया था। उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि के वारिसान केवल प्रतिवादीगण 1 ता 5 को बनाया गया है। जबकि उक्त भूमि में वादीगण का प्रतिवादीगण 1 ता 5 का 1/2–1/2 हक व हिस्सा है सबूतन संवत 2010–2013 की किशोरी के नाम की जमाबंदी पेश है। उक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व वादीगण व प्रतिवादीगण के बाबा किशोरी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी सबूतन संवत 2010–2013 की जमाबंदी पेश है वादीगण व प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 के बाबा किशोरी की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण 1 तस 5 के पिता भंवरलाल ने राजस्व कर्मियों से साज करके किशोरी की संपूर्ण भूमि को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया था। जबकि वादीगण के पिता पति व प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 के पिता पति आपस में सगे भाई है वादीगण व प्रतिवादीगण का किशोरी की भूमि में 1/2–1/2 हक व हिस्सा है वादीगण अपने हिस्सा की भूमि पर आज भी कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 वादीगण से डोल मेढ व घास को लेकर आये दिन झगड़ा फसल करते रहते है। इसलिये वादीगण व प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 [illegible] बंटवारा करके 1/2–1/2 हिस्सा सेपरेट किया जाना आवश्यक है। वादीगण पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.7.17 को बताने पर राजस्व रिकॉर्ड की नकल [illegible] पर तब वादीगण ने तहसीलदार करौली एवं जिला कलेक्टर करौली को [illegible] आराजी का इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त आराजी का इन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 का राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा किया जाकर 1/2–1/2 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2025.11.07 10:33:04 IS
Reason: SelfAttested

सेपरेट खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे वरना वादीगण के हक हकूकों पर भारी कुठाराघात होगा। वादीगण का पिता पति अमरलाल अनपढ था और उसकी जानकारी में लाये वगैर राजस्व कर्मियों ने राजस्व रिकॉर्ड में गलती की है जो वादीगण पर अवैध शून्य है। वादीगण अपनी उक्त आराजी में से ही अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करते आ रहे है। प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 अपने धनबल व लठ्ठ की ताकत पर वादीगण को अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जा काश्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जाय एवं वादीगण व प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 का राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा किया जाकर 1/2–1/2 के सेपरेट खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। दावा वार्द डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि उक्त आराजीयात का वादीगण को कोई संबंध नहीं है। किशोरी के केवल एक ही संतान भंवरलाल ही थे और उक्त भंवरलाल के ही हम प्रतिवादीगण बहैसियत वारिसान काबिज काश्त चल आ रहे है। उक्त आराजीयात केवल प्रतिवादीगण जबाबदारान की पुश्तैनी भूमि है। वादीगण का पिता अमरलाल प्रतिवादीगण जबाबदार नंबर 1 लगायत 5 के पिता भंवरलाल का खास भाई नहीं था। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता भंवरलाल पुत्र किशोरी के खातेदारी व कब्जे काश्त में पचासों साल से चली आ रही है और भंवरलाल के फौत हो जाने पर उक्त आराजीयात विवादित हम जबाबदारान प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि में वादीगण का किसी प्रकार का कोई भी हक व हिस्सा नहीं है। प्रतिवादीगण के पिता भंवरलाल के नाम विरासत राजस्व रिकॉर्ड में सही दर्ज हुई थी और भंवरलाल की मृत्यु के पश्चात हम प्रतिवादीगण जबाबदारान के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में आयी है। वादीगण व उनके पिता स्व. अमरलाल का उक्त वादग्रस्त भूमि से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। ना ही अब है। यानि भंवरलाल व अमरलाल दोनों सगे भाई नहीं है। किशोरी के केवल एक पुत्र भंवरलाल ही था और किशोरी के फौत हो जाने पर उसकी विरासत राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिवादीगण के पिता भंवरलाल नाम दर्ज हुई थी और भवंरलाल के फौत हो जाने पर हम प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज की गयी थी। उक्त भूमि पर हम प्रतिवादीगण जबाबदारान पिता भंवरलाल बहैसियत खातेदार कातकार काबिज रहे थे व वादीगण के पिता व पति व प्रतिवादीगण के पिता भंवरलाल बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहे थे वादीगण के पिता व पति व प्रतिवादीगण के पिता व पति आपस में सगे भाई नहीं थे प्रतिवादीगण के पिता के पिता किशोरी की भूमि म

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2025.11.07 10:33:04 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। ना ही वादीगण आज काबिज है। वादीगण का किसी प्रकार का बंटवारा कराने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ताकतवर झगडालू प्रवृति के है और पैसे व लट्ठ के बल पर प्रतिवादीगण की जमीन को ताकत के बल पर छिनाना चाहते है। वादीगण हम प्रतिवादीगण की खातेदार व कब्जा काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार भी इन्द्राज दुरूस्त कराने के अधिकारी नहीं है। वादीगण को हम प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में बंटवारा कराने व खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त कराने का कोई अधिकारी नहीं है। वादीगण का उक्त विवादित आराजीयात से कभी भी किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा है। ना कब्जाकाश्त किसी प्रकार किया है। वादीगण बहुत ही चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति है और चालाकी से ही य झूठा दावा करके इस दावे की आड में हम प्रतिवादीगण की भूमि को छीनाना चाहते है। अंत में दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण का तनकीबार विवेचन किया जाना उचित है जो निम्न प्रकार है:–

विवाधक सं. 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादीगण ने विवाद्यक संख्या 1 के संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–2 पेश की है जिसमें भूमि वादीगण के पितामह किशोरी के खातेदारी में दर्ज है एवं वादीगण ने वोटर लिस्ट प्रति व राशन कार्ड की प्रति पेश की है। उक्त आराजी के संवत 2052–55 में प्रदर्श–3 के द्वारा किशोरी मरने के बाद प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के पिता व पति भंवरलाल पुत्र किशोरी के हक में खातेदारी इन्द्राज वादी गण के पिता व पति अमरलाल व किशोरी को छोडते हुए दर्ज हुए जबकि भूमि पितामह किशोरी के समय की है। जिसे प्रतिवादी अमरसिंह द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वीकार किया है कि भूमि किशोरी के मरने के बाद विरासत से केवल भंवरलाल के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 की पितामह किशोरी के समय की पुश्तैनी होना राजस्व रिकॉर्ड से प्रकट होता है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। विवाद्यक 1 में भूमि वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के पितामह की संयुक्त खातेदारी होना उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 का 1/2–1/2 हिस्सा है। किशोरी के मरने के वाद भूमि प्रतिवादी [illegible] पिता व पति भंवरलाल के हक में विरासत से गलत दर्ज होना राजस्व रिकॉर्ड से साबित है। भूमि में वादीगण अपने 1/2 हिस्सा का बंटवारा कराने के हकदार [illegible] अतः विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–2 व जमाबंदी संवत 2052–55 प्रदर्श 3 पेश की है जिससे वादीगण भूमि के किशोरी के मरने के बाद पिता अमरलाल का 1/2 हिस्सा होने से 1/2 हिस्से के खातेदारी काश्तकार है। वादीगण 1/2 के कब्जेकाश्त के लिए प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2025.11.07 10:33:04 IST
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या 3 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के विरूद्ध तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 व 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र का वादकारण वादी को नहीं होने एवं दावा वादी म्याद बहार होना कथन किया है। धारा 53 व 88 आरटी एक्ट में म्याद की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य व नजीर पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है। अतः विवाद्यक संख्या 4 व 5 प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 6 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 3 के विवेचन एवं प्रस्तुत जमाबंदी 2010–13 प्रदर्श–2 व जमाबंदी संवत 2052 से 55 प्रदर्श–3 से विवादित भूमि किशोरी पितामह वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के समय की होना एवं किशोरी के दो पुत्र भंवरलाल व अमरलाल होना एवं भंवरलाल के प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 एवं अमरलाल के वारिस होना प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व फोटोकॉपी वोटर लिस्ट व राशन कार्ड, पहचान पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र अमरलाल से साबित होता है। भूमि वादीगण के पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की होना राजस्व रिकॉर्ड से साबित है। प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है जिससे भूमि प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के पिता व पति भंवरलाल व किशोरी की खरीदशुदा व सृजित हो। वादीगण भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वादीगण ने अपने मौखिक साक्ष्य में भूमि पर कब्जा होना बताया है एवं वादीगण ने दौराने बहस दिनांक 31.07.2025 को आवेदन प्रस्तुत कर भूमि का बंटवारा नहीं चाहने का निवेदन किया है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है। वादीगण को आराजी खसरा नंबर 372, 567, 568, 582/1461, 583 लगायत 589 कुल किता 11 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा ग्राम खूबनगर पटवार हल्का खूबनगर तहसील करौली के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण अपने हक में 1/2 हिस्से का खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी नंबर 7 वादीगण के हक में इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में 1/2 हिस्से का खातेदारी इन्द्राज अमल करें प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादीगण के 1/2 हिस्से के भूमि के लाभ प्राप्त करने में कोई दखल नहीं करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:33:04 IST
Reason: SelfAttested